Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 20/12/2018

Certificate No. H0T2018L154

GRN No. 42740654

Stamp Duty Paid : ₹ 36000 (Rs. Only)

Penalty : ₹ 0 (Rs. Zero Only)

8113
21/12/2018

Seller / First Party Detail

Name: Vijay Kumar

H.No/Floor : 0 Sector/Ward : Ue-02 LandMark : 0

City/Village : Hisar District : Hisar State : Haryana

Phone: 0 Others : Smt suman etc

Buyer / Second Party Detail

Name : Aman

H.No/Floor : 55 Sector/Ward : 13-p LandMark : 0

City/Village: Hisar District : Hisar State : Haryana

Phone : 0

Purpose : Stamp for Lease Deed

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

SUB REGISTRAR HISAR

पट्टानामा आराजी अरसा – 20 साल
बरकबा – 15½ मरलें (491 वर्गगज)।
वाका मौजा – सामने इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, निकट होलसेल क्लॉथ मॉर्केट, हिसार तहसील व जिला हिसार।
लगान – ₹6,00,000/– सालाना
कीमत स्टाम्प – ₹36,000/–

कीमत स्टाम्प मुबलिग ₹36,000/– ई0 स्टाम्प सर्टिफिकेट नं0. **H0T2018L154** दिनांकः 20.12.2018 **GRN No.** 42740654 दिनांकः 20.12.2018 से जारी शुदा है। ई0 स्टाम्प सर्टिफिकेट वसीका के साथ संलग्न है।

वसीका के पंजीकरण की फीस मुबलिग ₹10,000/– द्वारा ई0 चालान **GRN No.** 42758724 दिनांकः 21.12.2018 को जमा करवाये जा चुके है। चालान साथ संलग्न है।

Suman
Neelam

प्रलेख न:8113 दिनांक:21-12-2018

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE

तहसील/सब-तहसील हिसार गांव/शहर बीङ एम सी के अन्दर स्थित बीङ एम सी ्के अन्दर

भवन का विवरण

भूमि का विवरण

निवासीय 15.5 Marla

धन सबंधी विवरण

राशि 600000 रुपये

कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 36000 रुपये

स्टाम्प नं : h0t2018l154 स्टाम्प की राशि 36000 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 10000 रुपये EChallan:42758724 पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये

Drafted By: Service Charge:200

यह प्रलेख आज दिनांक 21-12-2018 दिन शुक्रवार समय 3:23:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती नीलम पत्नी सुरेश श्रीमती सुमन पत्नी विजय कुमार सुरेश कुमार पुत्र देवराज विजय कुमार ऐच यू ऐफ बजरिया विजय कुमार पुत्र देवराज निवास द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया ।

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (हिसार)

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्रीमती नीलम श्रीमती सुमन सुरेश कुमार विजय कुमार ऐच यू ऐफ बजरिया विजय कुमार

सब रजिस्ट्रार हिसार

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ।

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एंव ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है|

दिनांक 21-12-2018 उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (हिसार)

श्रीमती नीलम श्रीमती सुमन सुरेश कुमार विजय कुमार ऐच यू ऐफ बजरिया विजय कुमार

उपरोक्त पटटा लेने वालाव श्री/श्रीमती/कुमारी अमन पुत्र सुरेश कुमार हाजिर है | प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया | प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि पटटा देने वालाने मेरे समक्ष पटटा लेने वाला को अदा की तथा प्रलेख मे वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया |दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी प्रवीन वकील पिता --- निवासी हिसार व श्री/श्रीमती/कुमारी आनन्दस्वामी वकील पिता --- निवासी हिसार ने की |

साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है |

दिनांक 21-12-2018 उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(हिसार)

सब रजिस्ट्रार हिसार

किराया हर साल पेशगी रसीद द्वारा वसूल पाया जायेगा।

हमकि **1-विजय कुमार एच0यू0एफ0 कर्त्तागण विजय कुमार व सुरेश कुमार पुत्रान श्री देवराज पुत्र श्री सीताराम व 2-श्रीमती सुमन धर्मपत्नी श्री विजय कुमार पुत्र श्री देवराज व 3-श्रीमती नीलम धर्मपत्नी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री देवराज निवासीगण अर्बन एस्टेट-02, हिसार तहसील व जिला हिसार** के है। जोकि एक प्लाट, बापैमाईशी व महदूदा जैल:-पूर्व में डण्डा 20.5 मीटर सरहद जायदाद गुजरी महल, पश्चिम में डण्डा 20.5 मीटर सरहद सड़क आम, उत्तर में डण्डा 20 मीटर सरहद जायदाद क्लॉथ मॉर्केट व दक्षिण में डण्डा 20 मीटर सरहद जायदाद दिगर है। कुल बरकबा 491 वर्गगज है। जो आराजी 2 कनाल 12 मरलें, नम्बरान खसरा जैल:-1557//17/24(2-12), नम्बरान मन्दरजा खेवट नं0. 982//927, खतौनी नं0. 1113, जमाबन्दी साल सन् 2016-2017, वाका मौजा बीड़, तहसील व जिला हिसार का 3/10 भाग **बकदर रकबा 15½** मरलें (491 वर्गगज) होता है। जो अनुसार कागजात माल जमाबन्दी से मिकर नं0. 01 विजय कुमार एच0यू0एफ0 1/5 भाग व मिकरा नं0. 02 श्रीमती सुमन 1/20 भाग व मिकरा नं0. 03 श्रीमती नीलम 1/20 भाग के मालकान होते है व बरूवे तकसीम खानगी हमारी मकबूजियती होती है। अब हमने अपनी रजामन्दी से बिनी किसी दबाव के उपरोक्त प्लाट, बरकबा 491 वर्गगज (15½ मरलें) अरसा बीस साल दिनांक: 01.12.2018 से दिनांक: 30.11.2038 तक लगानदर ₹6,00,000/- (छह लाख रूपये) सालाना पर **बाहक अमन पुत्र श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री देवराज निवासी मकान नं0. 55, सैक्टर-13-पी, हिसार तहसील व जिला हिसार** को वास्ते लगाने पैट्रोल पम्प के लिए पट्टे पर देकर कब्जा प्लाट पट्टेदार को दे दिया है। शरायत जैल करार पाई है:-

1. यह है कि प्लाट हजा बाला का लगान हर साल पेशगी रसीद द्वारा मालकान को पट्टेदार बाखज रसीद अदा करेगा। बिला रसीद दिया लगान मुजरा नही होगा।
2. यह है कि पट्टेदार पट्टे के दिनो में प्लाट हजा को कोई नुक्सान नही पहुचाऐगा।
3. यह है कि पट्टे के दिनो में पट्टेदार उपरोक्त प्लाट को किसी कम्पनी या दिगर व्यक्ति को सबलीज कर सकेगा।
4. यह है कि पट्टे के दिनों पट्टेदार को किसी प्रकार की तामिरात करने व बिजली, पानी, टेलीफोन कनैक्शन लेने व पैट्रोल पम्प लगाने का हक हासिल होगा।
5. यह है कि पट्टेदार को उपरोक्त प्लाट में पैट्रोल पम्प लगाने के लिये किसी महकमे से किसी प्रकार का लाईसैन्स/जी0एस0टी0 व सैल टैक्स नम्बर लेने के लिये कोई कार्यवाही करनी पडे, वह कुल कर सकेगा।
6. यह है कि मालकान पट्टे के दिनो मे पट्टेदार के किसी काम में कोई दखल ना डाल सकेगें।
7. यह है कि बाद गुजरने मियाद बाला वापिस कब्जा मालकान का होगा। अगर पट्टेदार कोई शर्त तोड़ेगा तो मालकान को हक होगा कि वह बकाया

Suman Neelam

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
8113	2018-2019	1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

REGISTRAR SUB HISAR

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

सब रजिस्ट्रार हिसार

पटटा देने वाला :- श्रीमती नीलम श्रीमती सुमन सुरेश कुमार विजय कुमार ऐच यू ऐफ बजरिया विजय कुमार

पटटा लेने वाला :- अमन

गवाह 1 :- प्रवीन वकील

गवाह 2 :- आनन्दस्वामी वकील

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 8113 आज दिनांक 21-12-2018 को बही नं 1 जिल्द नं 901 के पृष्ठ नं 29.5 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 9162 के पृष्ठ संख्या 11 से 12 पर चिपकाई गयी | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है |

दिनांक 21-12-2018

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(हिसार)

सब रजिस्ट्रार हिसार

लगान, खर्चा व हर्जा पट्टेदार से वसूल कर लेवे। पट्टेदार का कोई उजर ना होगा, बाद गुजरने मियाद बाला वापिस कब्जा मालकान को जिस हालात में आज प्लाट लिया है, उसी हालात में वापिस करने की पाबन्द पट्टेदार रहेगा।

8. यह है कि पट्टेदार उक्त रकबा में पैट्रोल पम्प से सम्बन्धि ऑफिस बना सकेगा। बिजली, पानी, टेलिफोन कनैक्शन सम्बन्धित विभाग से ले सकेगा। तेल स्टोर के लिए टैंक व मशीने आदि बना व लगा सकेगें तथा पैट्रोल पम्प से सम्बन्धित कारोबार के लिए निर्माण कार्य पट्टेदार कर सकेगा।

9. यह है कि इन्तकाल दर्ज व तसदीक करवा देगें वरना इस दस्तावेज से हो सकेगा। वारसान फरीकैन शरायत बाला के पाबन्द रहेगें।

अतः यह पटटानामा लिख दिया कि सन्द रहे और समय पर काम आवे।

दिनांकः 21/12/2018 मजमुन सुनाया गया सुनकर सही माना।

ड्राफ्टिड बाई : अजय गुप्ता वसीका नवीस, हिसार।
रजि0 नं0. 120..

AJAY GUPTA
अजय गुप्ता
वसीका नवीस
हिसार
DEED WRITER HISAR

मालकान
विजय कुमार सुरेश कुमार एच0यू0एफ0 – **श्रीमती सुमन**

श्रीमती नीलम **पट्टेदार**

गवाह नं0 1 **गवाह नं0 2**